भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2012

आय-कर

का.आ. 626**(अ).**--केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (3 संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 में,--

(क) नियम 12 में,--

(i) उपनियम (1) में,--

(क) "2011" अंकों के स्थान पर "2012" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस खंड के उपबंध किसी व्यक्ति जो निवासी व्यष्टि है और

(i) भारत से बाहर अवस्थित आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) रखता है ; या

(ii) भारत से बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकारी है,

लागू नहीं होगा";

(ग) खंड (गक) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस खंड के उपबंध किसी निवासी व्यक्ति जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है और

www.taxguru.in

(i) भारत से बाहर अवस्थित आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) रखता है ; या

(ii) भारत से बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकारी है,

लागू नहीं होगा";

(ii) उपनियम (3) के परंतुक में खंड (क) को, खंड (ककक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (क) से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(क) कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब, यदि उसकी कुल आय या पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अधिनियम के अधीन उसके संबंध में निर्धारणीय कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

(कक) कोई व्यष्टि या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो निवासी है, भारत से बाहर अवस्थित कोई आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) रखता है या भारत से बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकारी है और, यथास्थिति, उससे प्ररूप आ.क.वि.-2 या प्ररूप आ.क.वि.-3 या प्ररूप आ.क.वि.-4 में विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित है, खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी फाइल करेगा ;

(iii) उपनियम (5) में, "2010" अंको के स्थान पर "2011" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) परिशिष्ट-2 में, "प्ररूप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3, सुगम (आ.क.वि.-4एस), आ.क.वि.-4 और आ.क.वि.-V" के स्थान पर, "प्ररूप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, आ.क.वि.-3, सुगम (आ.क.वि.-4एस), आ.क.वि.-4 और आ.क.वि.- V" रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं0 14/2012/फा.सं.142/31/2011- (टीपीएल)]

www.taxguru.in

(आशीष चंद्र मोहन्ती)
अवर सचिव, भारत सरकार ।

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं0 का. आ. 227 तारीख 6/2/2012 के तहत आय-कर (2 संशोधन) नियम, 2011 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

www.taxguru.in